न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, टोंक

(रामरतन सौंकरिया, आर0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 09 / 2024

प्रविष्टि दिनांकः– 06.08.2024

श्रीमति गमला देवी धर्मपत्नि श्री नारायण धाकड निवासी ग्राम दोलता तहसील देवली जिला टोंक (राज.)

.....निगरानीकर्ता

बनाम

1. अमित नागर पुत्र श्री जगदीश नागर निवासी दोलता उर्फ माधोसिंहपुरा तहसील देवली जिला टोंक (राज.)
2. ग्राम पंचायत पनवाड पंचायत समिति देवली तहसील देवली जिला टोंक जरिये सरपंच

.....विपक्षीगण

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायत एक्ट 1994 विरूद्ध पट्टा आदेश दिनांक 05.07.2022 ग्राम पंचायत पनवाड पट्टा क्रमांक 66 / 2022

उपस्थितः (1) श्री संजय कुमार जैन, अभिभाषक निगरानीकर्ता

(2) श्री बाबूलाल मीणा, अभिभाषक विपक्षीगण।

निर्णय

दिनांक 28.11.2024

संक्षेप में निगरानी का सार इस प्रकार हैं कि ग्राम पंचायत पनवाड पंचायत समिति देवली जिला टोंक द्वारा दिनांक 05.07.2022 को जरिये मिसल नम्बर 66 / 2022 एक पट्टा विलेख भूमि खसरा नं0 209 ग्राम दोलता में विपक्षी संख्या 01 अमित नागर पुत्र जगदीश नागर के पक्ष में 2400 वर्ग फीट का जारी किया गया। विपक्षीगण ने उक्त पट्टा विलेख को उपपंजीयक देवली के यहां दिनांक 24.02.2023 को पंजीबद्ध करवा लिया। उक्त पट्टे को विधि–विधान एवं तथ्यों के प्रतिकूल होने के आधार पर जारी होना बताते हुए निगरानीकर्ता ने यह निगरानी प्रस्तुत की है।

निगरानी दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं ग्राम पंचायत से पट्टे की पत्रावली तलब की गई। विपक्षीगण अमित नागर की ओर से

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक

अतिरिक्त जिला कलेक्टर, टोंक

उनके अभिभाषक श्री बाबूलाल मीणा उपस्थित हुए एवं अपना जवाब पेश किया। अभिभाषक निगरानीकर्ता की बहस सुनी गई।

अभिभाषक निगरानीकर्ता ने अपनी बहस में निगरानी में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि उक्त पट्टा विलेख वास्तविक तथ्यों के विपरित होने से निरस्त किये जाने योग्य है। उक्त पट्टा जारी करने से पूर्व ग्राम पंचायत द्वारा न तो मौके का निरीक्षण किया गया और न ही भूमि के पडौसी लोगो से कोई पूछताछ की गई। ग्राम पंचायत पनवाड द्वारा जिस स्थान का पट्टा विपक्षी संख्या–1 के पक्ष में जारी किया गया है, उस भूमि का पूर्व में ग्राम पंचायत पनवाड़ द्वारा निगरानीकर्ता के पक्ष में पट्टा संख्या–2 मिसल नं0 38 दिनांक 20.01.2014 को अपने संकल्प संख्या 5 दिनांक 20.01.2014 के द्वारा रू. 200 की राशि जरिये रसीद नं0 55 निगरानीकर्ता से प्राप्त करके जारी किया गया था जो कि 30X30 फुट भूमि का था। उक्त भूमि की सीमाए पूर्व दिशा में आम रास्ता पश्चित दिशा में रामदयाल जी का मकान उत्तर दिशा में प्रहलाद शर्मा का मकान व दक्षिण में कैलाश का बाडा है, जारी किया गया था। इसी प्रकार विपक्षी सं0–1 के पक्ष में जो इसी भूमि का पट्टा जारी किया गया उसमें पूर्व में आम रास्ता, पश्चिम में अन्य जमीन, उत्तर में सीताराम शर्मा का मकान, दक्षिण में राजेश धाकड का बाडा अंकित कर दिया।

विपक्षी सं0–1 एवं गाम पंचायत से वर्तमान सरपेच ने आपस में साज करके उत्तर में निगरानीकर्ता के पटटे में जो प्रहलाद का मकान है उसकी जगह प्रहलाद के पुत्र का मकान अंकित कर दिया, दक्षिण दिशा में निगरानीकर्ता के पटटे में केलाश का बाडा बता दिया विपक्षी सं0–1 के पटटे में राजेश का बाडा अंकित कर दिया जबकि राजेश व कैलाश दोनों ही सगे भाई है। इस प्रकार विपक्षी सं0–1 के पक्ष में जारी पटटे में उत्तर व दक्षिण की सीमाओं में केवल मात्र नाम परिवर्तन करके उसी जगह का पट्टा विपक्षी सं0–1 के पक्ष में पट्टा जारी किया गया है।

ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी करने से पूर्व निगरानीकर्ता को कोई सुनवाई, साक्ष्य, सबूत पेश करने का अवसर नहीं दिया। ग्राम पंचायत पनवाड ने उक्त पटटा जारी करने से पूर्व पटटे में अंकित स्थान का सीमांकन नहीं करवाया और ना ही मोके पर जाकर नाप–चौप की गई है और ना ही उक्त पटटा जारी करने से पूर्व पंचायत अधिनियम 1994 में दिये गये आज्ञापक प्रावधानों की पालना की गई और निगरानीकर्ता की पुश्तेनी भूमि का पट्टा विपक्षी संख्या–1 के पक्ष में मोके के विपरीत जारी कर दिया। उक्त भूमि का पटटा जारी करने से पूर्व ग्राम पंचायत पनवाड़ द्वारा कोई सार्वजनिक सूचना चस्पा नही की गई। अतः निगरानी पेश कर निवेदन हैं कि निगरानी स्वीकार की जाकर विपक्षीगण के पक्ष में जारी किया गया पट्टा संख्या–66 मिसल संख्या 66/2022 को निरस्त किया जावें।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक

विपक्षीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब का अवलोकन किया। विपक्षीगण ने अपने जवाब में अंकित किया हैं कि ग्राम पंचायत पनवाड द्वारा उसे जिस भूमि का पट्टा जारी किया गया है उस भूमि का पूर्व में ही निगरानीकर्ता के पक्ष में पट्टा जारी हो रखा है परन्तु सहवन से पुनः उसी भूमि का विपक्षी सं0 1 के पक्ष में पट्टा जारी हो गया। अतः उक्त पट्टा संख्या 66/2022 को निरस्त किये जाने में विपक्षीगण को कोई आपत्ति नहीं होना अंकित किया।

हमने अभिभाषक निगरानीकर्ता की बहस को सुना एवं मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात, ग्राम पंचायत पनवाड़ की पट्टा सं. 66/2022 की पत्रावली व विपक्षीगण के जवाब का आद्योपान्त अध्ययन किया। ग्राम पंचायत की पट्टा पत्रावली व निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात से स्पष्ट होता हैं कि ग्राम पंचायत पनवाड़ द्वारा जो पट्टा सं. 66/2022 विपक्षी संख्या–1 को जारी किया गया है, उसी भूमि का पूर्व में भी पट्टा सं0 2 दिनांक 20.01.2014 द्वारा निगरानीकर्ता के पक्ष में पट्टा जारी किया गया था। इस प्रकार एक ही भूमि का दो बार पट्टा जारी किया गया है जो कि विधि–विधान के प्रतिकूल है। विपक्षीगण ने भी अपने जवाब में उसे जारी पट्टे को निरस्त करने में कोई आपत्ति नहीं होना अंकित किया है।

फलतः निगरानी निगरानीकर्ता स्वीकार की जाकर कर ग्राम पंचायत पनवाड, पंचायत समिति देवली द्वारा दिनांक 05.07.2022 को विपक्षी सं0 1 अमित नागर पुत्र जगदीश नागर के पक्ष में खसरा नं0 209 वाके ग्राम दोलता में 2400 वर्गफीट का जारी किया गया पट्टा सं. 66/2022 निरस्त किया जाता है। प्रार्थना पत्र स्थगन खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 28.11.2024 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक

(रामरतन चौकरिया)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक